राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 4677/2019

सुरेश कुमार जांगिड़ पुत्र श्री भैंरू राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, सुजानगढ़ रोड, पोस्ट नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री कैलाश जांगिड़

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री हिमांशु श्रीमाली आर-1 और 2 के लिए

श्री राजेश पुनिया आर-3 के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

16/05/2024

आवेदन (आई.ए. सं.2/2024) :

1. आवेदन (आई.ए. सं. 2/2024) में बताए गए कारणों से शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है, जिसकी अनुमति दी जाती है।

2. मुख्य मामले को आज ही सुनवाई के लिए लिया गया है।

मुख्य मामला :

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों की निष्क्रियता से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दिनांक 12.01.2015 के विज्ञापन (अनुलग्नक 1) के अनुसार व्याख्याता (अर्थशास्त्र) के उपलब्ध रिक्त पद के विरुद्ध आरक्षित सूची/प्रतीक्षा सूची का संचालन नहीं किया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 2 पर अभ्यर्थी द्वारा

कार्यभार ग्रहण न करने के कारण सभी परिणामी लाभों के साथ उक्त पद पर नियुक्ति चाहता है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि आरपीएससी ने विभिन्न विषयों में व्याख्याता के पद के लिए दिनांक 12.01.2015 का विज्ञापन (अनुलग्नक 1) जारी किया। याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी में व्याख्याता (अर्थशास्त्र) के पद के लिए भी आवेदन किया और लिखित परीक्षा में सफल रहा। दिनांक 07.07.2017 के आदेश (अनुलग्नक 3) के अनुसार, प्रतिवादियों ने प्रश्नगत पद के लिए अंतिम परिणाम जारी किया, लेकिन मूल सूची में याचिकाकर्ता का रोल नंबर अंकित नहीं था।

2.1 हालांकि, उसी दिन यानी 07.07.2017 (अनुलग्नक 4) को प्रतिवादियों ने एक आरक्षित सूची भी जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता का रोल नंबर उल्लेखित था। इसके बाद, 03.03.2018 को याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत एक आवेदन दायर कर नियुक्तियों की स्थिति और उन लोगों के बारे में जानकारी मांगी, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। उसी के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को 29.11.2018 को सूचना मिली कि आरक्षित सूची में क्रमांक 2 पर उम्मीदवार को नियुक्ति की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसलिए, 25.06.2018 के आदेश के तहत उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई।

2.2 इसके बाद याचिकाकर्ता ने 27.12.2018 के आवेदन (अनुलग्नक 11) के माध्यम से प्रतिवादियों से संपर्क किया कि उसे नियुक्ति दी जाए क्योंकि आरक्षित सूची में क्रमांक 2 पर उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। हालांकि, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया। इसलिए यह याचिका दायर की गई।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से प्रस्तुत उत्तर में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एक अभ्यर्थी विनेश जैन को व्याख्याता अर्थशास्त्र और व्याख्याता लेखा अध्ययन एवं व्यवसाय प्रबंधन के दो अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने दिनांक 16.10.2018 को महाविद्यालय व्याख्याता लेखा अध्ययन एवं व्यवसाय प्रबंधन के पद पर कार्यभार ग्रहण किया, इस प्रकार अन्य पद रिक्त रह गया।

3.2 आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों का नाम मूल सूची भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अधियाचन किया जा सकता है। चूंकि क्रमांक 22 पर नामित अभ्यर्थी अर्थात विनेश जैन की नियुक्ति विलम्ब से हुई थी, तब तक आरक्षित सूची की वैधता समाप्त हो चुकी थी। नियमों के अनुसार प्रतिवादी एक वर्ष के भीतर आरक्षित

सूची के अभ्यर्थियों का अधियाचन भेज सकता है और चूंकि उक्त अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः अब आरक्षित सूची से नियुक्ति नहीं की जा सकती। अतः याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान पक्षों की प्रतिस्पर्धी दलीलें सुनी हैं और मामले की फाइल देखी है।

5. इस मामले में एक बहुत ही संक्षिप्त विवाद को निर्णय की आवश्यकता है, अर्थात क्या रिक्ति प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के भीतर हुई थी और यदि उत्तर सकारात्मक है तो क्या याचिकाकर्ता पर विचार किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वह अन्यथा योग्य और पात्र पाया जाए?

6. इसका उत्तर कानूनी के बजाय तथ्यात्मक क्षेत्र में अधिक निहित है, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान, प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, बशर्ते कि कोई रिक्ति हो।

7. इसलिए, आइए हम जांच करें कि क्या इस मामले में रिक्ति प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के भीतर हुई थी?

8. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा अपने उत्तर में अपनाए गए स्पष्ट रुख को देखते हुए उत्तर प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं है। इसका पैरा 12, उपयुक्त होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "12. रिट याचिका के पैरा (12) की विषय-वस्तु को उक्त तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है, अतः अस्वीकार किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के समय तक मेरिट सूची में से 4 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी शेष है, जिनमें से दो अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए तथा अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ। अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी सनितर कुमार ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उसका नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया गया है तथा आरक्षित सूची से अभ्यर्थी की संस्तुति की गई है तथा उसे नियुक्त किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि एक अभ्यर्थी विनेश जैन को व्याख्याता अर्थशास्त्र तथा व्याख्याता लेखा अध्ययन एवं व्यवसाय प्रबंधन के दो अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने

दिनांक 16.10.2018 को महाविद्यालय व्याख्याता लेखा अध्ययन एवं व्यवसाय प्रबंधन के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

इस स्थान पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रतिवादी को व्याख्याता अर्थशास्त्र के 47 पदों के लिए अनुशंसा दिनांक 20.7.2017 को प्राप्त हुई तथा नियम 1986 के अनुसार मूल सूची भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों के नाम अधियाचित किए जाएं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि क्रमांक 22 पर नामित अभ्यर्थी अर्थात विनेश जैन काउंसलिंग में विलम्ब से उपस्थित हुए तथा उनका पुलिस सत्यापन भी कुछ विलम्ब से प्राप्त हुआ, इसलिए श्री विनेश जैन की नियुक्ति प्रक्रिया में समय लगा तथा उनकी नियुक्ति विलम्ब से हुई तथा दो पदों के लिए उनका चयन भी हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि नियमों के अनुसार, प्रतिवादी एक वर्ष के भीतर आरक्षित सूची से उम्मीदवारों के लिए मांग भेज सकता है और चूंकि उपरोक्त अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए आरक्षित सूची से नियुक्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि यह नियमों के अनुसार लागू नहीं हो सकती है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची से व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में 19.7.2001 को डीओपी, राजस्थान सरकार द्वारा एक परिपत्र भी जारी किया गया था, जिसे बहस के समय तैयार रखा जाना चाहिए। इसलिए, बताई गई सामग्री को अस्वीकार किया जाता है।

9. उत्तर के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अभ्यर्थियों में से एक अर्थात विनेश जैन का तब से दो पदों पर चयन हो चुका है, अतः स्वाभाविक है कि उसे इनमें से एक पद छोड़ना पड़ा होगा। यह मान लेना सुरक्षित है कि यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में दी गई अनुमेय कार्यभार ग्रहण अवधि के भीतर उस पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, जिस पर वह कार्यभार ग्रहण नहीं

कर रहा है, तो उसे दिया गया पद रिक्त माना जाएगा तथा मेरिट सूची में अगले स्थान पर आने वाले अभ्यर्थी को उस पद पर समायोजित किया जाएगा।

10. जहां तक याचिकाकर्ता के सजग रहने का प्रश्न है, तो उसकी ओर से कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि उसने प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान 03.03.2018 को आरटीआई सूचना मांगी थी। प्रतिवादियों को विनेश जैन के कार्यभार ग्रहण न करने की पूरी जानकारी थी, तथापि उन्होंने याचिकाकर्ता से अपेक्षित सूचना नहीं मांगी, संभवतः उन्हें यह पता था कि यदि उसे अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दी गई, तो वह संबंधित पद पर अपना दावा ठोक देगा।

11. दिलचस्प बात यह है कि आरटीआई आवेदन पर 7 महीने तक विचार करने के बाद, अक्टूबर 2018 के महीने में याचिकाकर्ता को यह जानकारी दी गई कि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान एक पद रिक्त था। यह तभी हुआ जब याचिकाकर्ता ने तुरंत कार्रवाई की और उसी रिक्ति का लाभ मांगा जो प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान हुई थी।

12. इसके अलावा, मामले का एक और पहलू है, जो ध्यान देने योग्य है यानी प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 पर उम्मीदवार को आरपीएससी से राज्य द्वारा अधियाचन प्राप्त करके रिक्ति का लाभ दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता, जो क्रमांक 2 पर था, को समान उपचार से वंचित किया गया था। उस सीमा तक, उसकी उम्मीदवारी पर विचार न करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उल्लंघन है।

13. यह निर्विवाद है कि प्रश्नगत पद अर्थात अर्थशास्त्र में व्याख्याता का पद रिक्त रह गया है, क्योंकि मूल अभ्यर्थी विनेश जैन ने पदभार ग्रहण करने की अवधि में पदभार ग्रहण न करने का विकल्प चुना था। ऐसे में, मुझे कोई कानूनी बाधा नहीं दिखती कि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के भीतर इस न्यायालय में आवेदन करने वाले याचिकाकर्ता को इसका लाभ क्यों न दिया जाए।

14. उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 2 पर मेरिट सूची में होने का लाभ देने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित करें और उसे नियुक्ति पत्र जारी करें, बशर्ते कि आज की तिथि में प्रश्नगत पद पर रिक्ति उपलब्ध हो और साथ ही उसे उसके समकक्षों के समान सभी आभासी लाभ दिए जाएं, जिनके साथ उसने प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुकदमे की अनिश्चितताओं के कारण ऐसा हो सकता है कि उक्त पद को बाद के विज्ञापन में शामिल किया गया होगा और भरा गया होगा, ऐसी स्थिति में प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे भविष्य में रिक्त होने वाले अगले पद पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें, जब ऐसा हो।

16. विशिष्ट आधार में, यदि याचिकाकर्ता को भविष्य के किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति की तारीख से सभी लाभों का हकदार होगा और किसी भी पिछले वित्तीय या आभासी लाभों का हकदार नहीं होगा।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।